भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1640
27 जुलाई, 2022 के लिए प्रश्न

एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग अधिनियम

1640. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री सुब्रत पाठकः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में राज्यों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) हेतु अपना पहला राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अपनाए गए उन मानदण्डों या विभिन्न आधारों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर विभिन्न राज्यों को रैंकिंग दी गई थी;

(ग) क्या एनएफएसए ने पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा भंडारण क्षेत्र में सुधार करने के लिए अधिनियमित किया था और अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा कर पाया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसके उचित कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) क्या सरकार ने राज्यों को खाद्य राज-सहायता के संबंध में बकाया राशि के अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को प्रोत्साहन देने का है जो उक्त सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी हां, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के प्रचालनों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने 5 जुलाई 2022 को एनएफएसए के लिए पहला राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया है।

(ख): यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा और पोषण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाले तीन स्तंभों पर टिका हुआ है। प्रत्येक स्तंभ के पैरामीटर और उप-पैरामीटर हैं जो इस मूल्यांकन का समर्थन करते हैं। इसका प्रथम स्तंभ एनएफएसए के कवरेज, सही लक्षित करने और एनएफएसए के अधीन सभी प्रावधानों के क्रियान्वयन का आकलन करता है। दूसरा स्तंभ खाद्यान्नों के आवंटन, उनके संचालन और उचित दर दुकानों तक उनकी अंतिम सुपुर्दगी पर विचार करते हुए सुपुर्दगी मंच का विश्लेषण करता है। अंतिम स्तंभ विभाग के पोषण संबंधी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

.....2/-

(ग) और (घ): सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अधिनियमित किया है जो लोगों को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित करके मानव जीवन चक्र अप्रोच में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है ताकि लोग सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। अधिनियम में 3/2/1 रुपए प्रति किलोग्राम के अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर क्रमशः चावल/गेहूं/मोटे अनाज प्राप्त करने के लिए देश में 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी अर्थात देश की कुल आबादी के दो तिहाई को कवरेज प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा, अधिनियम में यह प्रावधान है कि गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 माह से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) स्कीम के अधीन निर्धारित पौषणिक मानदंडों के अनुसार भोजन के लिए पात्र होते हैं। 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पौषणिक मानदंड निर्धारित किए जाते हैं।

अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस अधिनियम के अधीन, उन्हें परिकल्पना की गई भूमिका के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रगामी रूप से आवश्यक सुधार करने का प्रयास करेंगे। इन सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, समय के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित जिंसों का विविधीकरण करना शामिल है।

यह अधिनियम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है और इस अधिनियम के अधीन लगभग 79.77 करोड़ व्यक्ति राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(ड.): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अधीन राजसहायता प्राप्त दरों पर राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी), जिस पर राज्यों को खाद्यान्न जारी किए जाते हैं, के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति खाद्य राजसहायता के रूप में भारतीय खाद्य निगम को की जाती है। विकेंद्रीकृत खरीद वाले राज्यों के मामले में, खाद्य राजसहायता भारत सरकार द्वारा सीधे राज्यों को, उनके द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों की मात्रा और एनएफएसए तथा अन्य कल्याणकारी स्कीम के अधीन इनका वितरण करने के लिए, जारी की जाती है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गैर डीसीपी राज्यों से प्राप्त खाद्यान्नों की मात्रा के लिए गैर डीसीपी राज्यों को निधियां जारी किया जाता है। डीसीपी राज्यों और भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता प्रदान की जाती है, जो एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अधीन गेहूं और चावल की खरीद तथा वितरण करने और खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव करने के लिए भारत सरकार के तंत्र हैं।

डीसीपी राज्यों के तिमाही दावों के आधार पर उन्हें अनंतिम/अग्रिम खाद्य राजसहायता की अनुमेय राशि जारी की जाती है। खाद्य राजसहायता जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों से प्राप्त दावों पर अथशेष और अंतशेष स्टॉक, खाद्यान्नों की खरीद, आवंटन और वितरण, भारतीय खाद्य निगम का मिलान, उपयोग प्रमाणपत्र, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत आदि, अन्य बातों के साथ-साथ, को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाती है। प्रासंगिक खर्चों और सांविधिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति इस विषय के संबंध में मौजूदा सिद्धांतों द्वारा शासित होती है।

(च): राज्य रैंकिंग सूचकांक का लक्ष्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा, सहयोग और शिक्षा का वातावरण बनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान और विश्लेषण के लिए सार्वजनिक डोमेन में सत्यापित आंकड़ों को प्रकाशित करना है। राज्य रैंकिंग में बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****